



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 520 राँची, मंगलवार 23 आषाढ, 1937 (श०)  
14 जुलाई, 2015 (ई०)

---

नगर विकास विभाग

-----

अधिसूचना

7 जुलाई, 2015

संख्या-- 06A/न.वि./विविध-23/2015-2356-- झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की कंडिका-434 एवं 590 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में प्रचलित भवन उपविधि 2002 तथा यथा संशोधित 2006 को राज्य के सभी नगर निकायों के लिए (राँची नगर निगम, जमशेदपुर अ०क्षे०स०, मानगो अ०क्षे०स०, जुगसलाई नगरपालिका, आदित्यपुर नगर परिषद् तथा लातेहार नगर पंचायत को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है ।

2. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद के क्षेत्र में खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम के तहत गठित भवन उप-विधि, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के क्षेत्र के लिए झारखंड क्षेत्रीय विकास अधिनियम-1981 (अंगीकृत) के तहत गठित भवन उप-विधि प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार राँची नगर निगम, जमशेदपुर अ0क्षे0स0, मानगो अ0क्षे0स0, जुगसलाई नगरपालिका, आदित्यपुर नगर परिषद् एवं लातेहार नगर पंचायत के लिए पूर्व से प्रचलित भवन उप-विधि प्रभावी रहेंगे ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,  
अजय कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

-----